UPBJ010089872019

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(कोर्ट नं01)बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (डा0 श्रीमती मनु कालिया), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02176

सत्र परीक्षण संख्या- 421/2019

उ0प्र0राज्य बनाम शामीन हसन व अन्य

थाना - नूरपुर, जिला– बिजनौर।
मु0अप0सं0 282/2019

आरोप

मैं डा0 श्रीमती मनु कालिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं01, बिजनौर आप अभियुक्तगण **(1) शामीन हसन (2) आरिफ, (3) हजरू, (4) अकील** को निम्नवत आरोपित करती हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 20–07–2019 को समय 17.00 बजे स्थान कस्बा नूरपुर मौ0 युसूफ नगर थाना नूरपुर जिला बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत आपने वादी फुरकान के भाई बुनियाद को सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट करके पकड लिया और घसीटते हुये हत्या करने के आशय से अपहरण करके जंगल की तरफ ले गये। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 364 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

द्वितीय यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी फुरकान के भाई बुनियाद को मारपीट करके उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

तृतीय यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी फुरकान के भाई बुनियाद को सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट करके घसीटते हुये अपहरण करके जंगल में ले जाकर हत्या कारित कर दी। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 302 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

चतुर्थ यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी फुरकान के भाई बुनियाद को मारपीट करके घसीटते हुये अपहरण करके जंगल में ले जाकर हत्या कारित करके शव को साक्ष्य का विलोपन करने के आशय प्रशान्त पुत्र जोगा निवासी मौ0 युसूफनगर के गन्ने के खेत में छिपा दिया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 201 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

पंचम यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी फुरकान के भाई बुनियाद को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी गन्दी गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

षष्ठम यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी फुरकान के भाई बुनियाद को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 506

के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

<u>सप्तम</u> यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी फुरकान के भाई बुनियाद को हत्या करने के आशय से विधि विरूद्ध तरीके से संगठित होकर मारपीट करके पकड लिया और घसीटते हुये अपहरण करके खींचकर जंगल की तरफ ले गये, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस प्रकार आपने आपराधिक कानून(संशोधन) अधिनियम 1932 की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक 08.09.2021

(डा0 श्रीमती मनु कालिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं01, बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 08.09.2021

(डा0 श्रीमती मनु कालिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं01, बिजनौर।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं01, बिजनौर।
सत्रपरीक्षण सं0 421/ 2019
राज्य बनाम शामीन हसन व अन्य

08–09–2021 पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण शामीन हसन, अकील, हाजरू व आरिफ मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली बहस चार्ज हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर सुना गया ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु विवेचना में संकलित/ पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विधिवत परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से प्रकट होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 364/34,323/34,302/34,201,504,506 भा0दं0सं0 व आपराधिक कानून(संशोधन) अधिनियम 1932 की धारा 7 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाता है।

दिनॉक 08.09.2021

(डा0 श्रीमती मनु कालिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं01, बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण शामीन हसन, अकील, हाजरू व आरिफ के विरूद्ध धारा 364/34,323/34,302/34,201,504,506 भा0दं0सं0 व आपराधिक कानून(संशोधन) अधिनियम 1932 की धारा 7 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक –09–2021 को पेश हो। सूची गवाहान से साक्षीगण सं0 1 ता 3 जरिये समन आहूत किये जाये।

दिनॉक 08.09.2021

(डा0 श्रीमती मनु कालिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं01, बिजनौर।

Digitally signed by DR. SMT MANU KALIA
Date: 2021.09.08 16:00:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court